आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

एफ 23 (46)/लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/विविध/2023–24/ई–08579/ दिनांक

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य
वित्त पोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय
राजकीय/निजी महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :– कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, जनजाति/सहरिया छात्रों हेतु आर्थिक सहायता योजना, उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यकता, मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना वर्ष 2024–25 हेतु **प्रचार, प्रसार** के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– विभाग का राजकाज क्रमांक 10363202 दिनांक 11.09.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, जनजाति/सहरिया छात्रों हेतु आर्थिक सहायता योजना, उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यकता, मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना वर्ष 2024–25 हेतु दिनांक 20.09.2024 से 20.11.2024 तक आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये है।

गत वर्षो में प्रायः देखा गया है कि छात्र/छात्राओं **विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति** की छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित उपरोक्त छात्रवृत्ति/स्कूटी योजना के प्रचार प्रसार एवं जानकारी के अभाव में आनालाईन आवेदन नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन एवं छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जाते है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार की विभाग द्वारा संचालित उक्त योजनाओं के लाभा को समस्त छात्र/छात्राओं (**विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति)** को जानकारी देने एवं प्रचार–प्रसार करने के लिए **बैनर**,, **स्थानीय समाचार पत्रों/स्थानीय ईलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया**, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय **सूचना पट्ट,** विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट, पेम्पलेट इत्यादि का उपयोग किया जावें। जिससे अधिक से अधिक पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

संयुक्त निदेशक, छात्रवृत्ति
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा

एफ 23 (46)/लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/विविध/2023–24/ई–08579/ दिनांकः–
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा।
3. वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

RajKaj Ref
10678278

Signature valid
Digitally signed by Kunal Vishnoi
Designation : Joint Director
Date: 2024.09.23 18:04:03 IST
Reason: Approved

संयुक्त निदेशक, छात्रवृत्ति